

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021—भाद्र 24, शक 1943

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

आदेश

फ़. क्र. 10-क-चार-निरहित-2021-100.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्र. 76-MP-LA-2018-WS-I, दिनांक 21-08-2021 जिसके द्वारा आयोग ने 77-सीधी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा निर्वाचन 2018 में शिवसेना पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनिल गुप्ता को अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहने के कारण आदेश दिनांक से तीन वर्ष के लिए निरहित घोषित किया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाना है.

धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2021—30 श्रावण, 1943 (शक)

आदेश

सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2018-पश्चिम-I.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई-प्रे.नो.-66-2018, दिनांक 06-10-2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11-12-2018 थी.

और, यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और, यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 77-सीधी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11-12-2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख 10-01-2019 थी.

और, यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश के दिनांक 19-01-2019 के पत्र सं. 10-क-चार-निर्वाचन-लेखा-16-सीधी-2019-886 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी जिला, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 15-01-2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री अनिल गुप्ता, मध्यप्रदेश के 77-सीधी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना पार्टी के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

और, यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी जिला, मध्यप्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनिल गुप्ता, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19-08-2019 जारी किया गया था;

और, यतः, निर्वाचनों का संचालन, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19-08-2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनिल गुप्ता, को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और, यतः, उक्त नोटिस श्री अनिल गुप्ता, द्वारा दिनांक 03-09-2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के दिनांक 15-01-2020 के पत्र संख्या 43-निर्वाचन-2019-2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और, यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी द्वारा अपने दिनांक 23-02-2021 के पत्र सं. 104-निर्वाचन-2020-2021 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनिल गुप्ता, ने आज की तारीख तक न तो कोई अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और, यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल गुप्ता, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और, यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि:—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है. दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता व्ययों के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 77-सीधी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना पार्टी अभ्यर्थी, श्री अनिल गुप्ता, निवासी ग्राम हड़बड़ो, पोस्ट-उपनी, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी, मध्यप्रदेश को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-

(मधुसूदन गुप्ता)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 21st August, 2021—30 Shrawana, 1943 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-2018-WS-I.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06-10-2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11-12-2018.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND, WHEREAS, the result of **77-Sidhi** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11-12-2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10-01-2019.

AND, WHEREAS, as per the report dated **15-01-2019** submitted by the District Election Officer, **Sidhi** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No. **10-A-Four-Elec. Expenditure Account-16-Sidhi-2019-886, dated 19-01-2019, Shri Anil Gupta, Shivsena Party** contesting candidate from **77-Sidhi** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND, WHEREAS, on the basis of the report of the **District Election Officer, Sidhi** District, Madhya Pradesh, a Show Cause Notice dated **19-08-2019** was issued by the Election Commission of India under Sub-Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Anil Gupta** for non submission of accounts of Election expenses;

AND, WHEREAS, as per Sub-Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **19-08-2019, Shri Anil Gupta**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND, WHEREAS, the said notice was received by **Shri Anil Gupta**, on **03-09-2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by **District Election Officer, Sidhi** vide his letter No. **43-Election-2019-2020 dated 15-01-2020**.

AND, WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Sidhi vide his letter No. **104-Election-2020-2021 dated 23-02-2021** dated it has been stated that **Shri Gaya Prasad Kumre** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date, Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND, WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Anil Gupta**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND, WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person _

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Anil Gupta** resident of **Village-Hadbado, Post-Upan, Tehsil-Gopadvanas, District-Sidhi, Madhya Pradesh**, the contesting candidate of **Shivsena** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **77-Sidhi** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./-
(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.